हिज़्ब उत-तहरीर पर प्रतिबंध

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में **गृह मंत्रालय (MHA) ने** गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 **(UAPA)** की **धारा 35** के तहत **हिज़्ब-उत-तहरीर** पर प्रतिबंध लगा दिया।

- **यह आतंकवादी** कृत्यों में संलिप्त था, जिसमें **भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर** आतंकवादी संगठनों में शामिल करना तथा **उनकी गतिविधियों के लिये धन एकत्रित करना शामिल था।**
    - ये भोले-भाले युवाओं को **आतंकवादी कृत्य करने के लिये प्रेरित करने हेतु 'दावा करने वाली' सभाओं** (इस्लामी प्रचार या धर्मांतरण) का आयोजन करते हैं।
    - इसका उद्देश्य **जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों** के माध्यम से भारत समेत विश्व भर में **इस्लामिक** राज्य और खिलाफत स्थापित करना है।
- **UAPA, 1967 की धारा 35** सरकार को किसी संगठन को **गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देती है यदि वह आतंकवाद या अलगाववाद को** बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न है।
- हिज़्ब-उत-तहरीर वर्ष **1953 में यरुशलम** में गठित एक **अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है।**
    - इसका मुख्यालय **लेबनान में स्थित है, यह** यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम-से-कम **30 देशों में परिचालन करता है।**
- यह भारत में प्रतिबंधित होने वाला **45वाँ संगठन बन गया,** जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और **लश्कर-ए-तैयबा भी शामिल हैं।**

और पढ़ें: UAPA न्यायाधिकरण ने PFI पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hizb-ut-tahrir-banned